आप द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना के संबंध मेः–

आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिकस रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एंव ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से अंसतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार अभिलेख का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी को चाहिए था कि वह लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन करते। किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा न कर बिन्दूवार सूचनांए उपलब्ध न करवाने का आक्षेप लगाते हुए यह अपील पेश की गई है जो खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उसके द्वारा उपलब्ध अभिलेख में से जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 59 ए/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

11–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> प्रकरण राधेश्याम बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जयपुर के पत्रांक 3337 दिनांक 24.04.2017 व उप जिला निर्वाचन, श्रीगंगानगर के पत्रांक 451 दिनांक 25.04.2017 के संबंध में।
>
> 1. श्री हंसराज मीणा, सहायक कर्मचारी, चुनाव शाखा श्रीगंगानगर में पद स्थापित की प्रमाणित प्रतिलिपि, रिपोर्ट की दिनांक 26.04.2017, जो प्रार्थी द्वारा नकल रूप में मांगी गई थी, उसके बारे में चुनाव शाखा के प्रभारी द्वारा यही कहा गया कि श्री महेश सैनी के रिश्तेदार बीमार है वह छुटटी पर है आने पर तैयार होगी श्री महेश सैनी के छुटटी पर जाने व वापिस आने की सूचना व प्रमाणित प्रति अवकाश की।
> 2. श्री महेश सैनी कर्मकार के अवकाश के दौरान जिस कर्मकार को उनका कार्य सौपा गया उसका नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
> 3. प्रार्थी द्वारा प्रमाणित प्रति हेतु आवेदक आवश्यक रूप से 48 घंटे में उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 30.06.2017 को दिया गया, अतः नकल जिस दिवस तैयार की गइै उसकी सूचना व प्रार्थी को नकल तैयार होने बाबत जिस दिवस सूचित किया उसकी सूचना व सूचना की प्रमाणित प्रति।
> 4. धनराज मीणा, सहायक कर्मचारी नगर परिषद, श्रीगंगानगर के चुनाव शाखा, श्रीगंगानगर में पद स्थापन की अवधि प्रारम्भ से अंत तक की सूचना।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.06.17 के द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना बिन्दुवार उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत 25000रूपये हर्जाना कायम किया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी , श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 4264 दिनांक 14.09.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को उनके कार्यालय के पत्र सं0 3644 दिनांक 16.08.17 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 च के तहत सूचित कर दिया था कि उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने संबंधी आक्षेप निराधार है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 3644 दिनांक 16.08.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

जिला कलेक्टर